डी. द्वारकानानाथ रेड्डी

बनाम

चैतन्य भारती एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य

अप्रेल 27, 2007

[सी.के. ठक्कर एवं अल्टमास कबीर, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 39, नियम 1 और 2-अंतरिम निषेधाज्ञा-अनुदान-प्रथम दृष्टया मामला-पंजीकृत सोसायटी-व्यक्तियों को प्रवर्तक के रूप में शामिल किया गया-व्यक्ति कथित तौर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव द्वारा प्रमोटर-सदस्यों को जनरल बॉडी में शामिल किया गया और बाद में सामान्य निकाय-सोसाइटी द्वारा अनुमोदित किया गया, यह दावा करते हुए कि प्रेरण शून्य और शून्य था क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रस्ताव केवल एक 'प्रस्ताव' था और बाद में सोसायटी के सामान्य निकाय की मंजूरी थी गवर्निंग बॉडी अथॉरिटी का चुनाव कराने से-सोसाइटी को भागीदारी का अवसर दिए बिना गवर्निंग बॉडी का चुनाव कराने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा - प्रथम दृष्टया मामले की कमी के आधार पर निचली अदालतों द्वारा खारिज - प्रतिपादित - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के संकल्प की शुद्धता में केवल इतना कहा गया है कि सोसायटी के संविधान के अनुसार नौ व्यक्तियों को सामान्य निकाय में शामिल किया जाएगा - एसोसिएशन ऑफ सोसायटी के लेखों के अनुसार एक व्यक्ति को

उसके प्रवेश से पहले एक राशि का भुगतान करना होगा, और वह भुगतान न तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के समय किया गया था और न ही सामान्य निकाय की बैठक; इसका भुगतान केवल विवादित प्रस्ताव पारित होने के बाद किया गया था और वह भी सोसायटी को सूचित किए बिना - भले ही कोई गलती हुई हो, यह एक पारस्परिक गलती नहीं थी - स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और सुनवाई के अवसर की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विवाद सदस्य के निष्कासन से संबंधित नहीं था और इस मुद्दे पर कि क्या आम सभा में शामिल करना कानूनी था, अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है - किसी विवरण के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सोसायटी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी या शक्ति का दिखावटी प्रयोग था - फोटोग्राफ, रिपोर्ट आदि से पता चलता है कि सभी के साथ व्यवहार किया गया था यदि सोसायटी में प्रवेश अवैध था तो प्रमोटर-सदस्य के रूप में काम करना और इस तरह काम करना कोई मायने नहीं रखता।

प्रतिवादी एक पंजीकृत सोसायटी है। इसके संस्थापक सदस्यों ने सामान्य निकाय के साथ-साथ शासी परिषद/कार्यकारी निकाय का गठन किया। अपीलार्थी का मामला यह है कि उन्हें 27 जनवरी, 2000 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सोसाइटी के सामान्य निकाय में प्रमोटर-सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जो कि खण्ड 11(i) संस्था के लेख के तहत उनकी शक्ति का प्रयोग था, और इसे बाद में 22 मार्च, 2006 को प्रतिवादी की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसलिए वे मेमोरेंडम और संस्था के लेख के अनुसार गवर्नर्स बोर्ड के चुनाव में भाग लेने के हकदार थे। उन्हें प्रतिवादी से एक चेतावनी मिली जिसमें कहा गया था कि सोसायटी के प्रमोटर-सदस्यों के रूप में उनका दावा और सामान्य निकाय की बैठक बुलाने का दावा मान्य नहीं था क्योंकि प्रमोटर-सदस्यों के रूप में उनका प्रवेश अमान्य था। इसमें कहा गया है कि 27 जनवरी, 2000 का प्रस्ताव महज एक 'प्रस्ताव' था, जिसमें यह शर्त थी कि उचित समय पर नौ व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, और 22 मार्च, 2006 का प्रस्ताव सोसायटी की आम निकाय द्वारा उन्हें स्वीकार करते हुए पारित किया गया। क्योंकि प्रवर्तक-सदस्य अधिकार विहीन और अमान्य थे।

उपरोक्त से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने यह घोषणा बाबत् सिटी सिविल न्यायालय में मूल याचिकाएँ दायर की कि वे कानूनी रूप से शामिल सदस्य थे और प्रतिवादी के प्रबंधन और प्रशासन में भाग लेने के हकदार थे। सिविल प्रक्रिया संहिताए 1908 के आदेश 39ए नियम 1 और 2 सपठित धारा 151 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन के साथ-साथ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की गई थी, ताकि प्रतिवादी को शामिल किए बिना और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिए बिना शासी निकाय का चुनाव कराने से रोका जा सके। सिटी सिविल न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इस आदेश से व्यथित

अपीलार्थीगण ने पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की। उच्च न्यायालय ने सभी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दियाए और विचारण न्यायालय को मूल याचिकाओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसे वर्तमान अपीलों में सभी अपीलार्थीगण द्वारा चुनौती दी गई है।

अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि (i) न तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और न ही संस्था के लेख ने प्रमोटर-सदस्य बनने के लिए 1 लाख रुपये के भुगतान के लिए कोई शर्त लगाई है, और इसके गैर-भुगतान को उन्हें निष्कासित करने या हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है; अन्यथा भी, उन्होंने कभी भी उक्त राशि का भुगतान करने से इनकार नहीं किया था; (ii) इस तथ्य के अतिरिक्त संस्था के लेखों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है, यहां तक कि प्रत्यर्थीगण की भी यही राय थी; इस प्रकार से यह आपसी गलती का मामला था जिसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता; (iii) भुगतान पहले ही किया जा चुका है और उस तथ्य पर न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना चाहिए था और उनके पक्ष में अनुतोष दिया जाना चाहिए था; (iv) प्रत्यर्थी द्वारा यह बताने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि उनकी सदस्यता क्यों समाप्त या बंद नहीं की जानी चाहिएए न ही सुनवाई का अवसर दिया गयाए न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया; (v) उन्हें हमेशा प्रमोटर.सदस्य के रूप में माना जाता थाए जो तथ्य विभिन्न तस्वीरों और रिपोर्टों से साबित होता है; (vi)

प्रत्यर्थी की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और उन्हें चुनाव में भाग लेने से वंचित करने की दृष्टि से शक्ति का गलत उपयोग किया गया है।

प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि; (i) अनुच्छेद 4 (i)(बी) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि एक आवेदक जो 1 लाख रुपये का 'भुगतान' करता है वह प्रमोटर सदस्य बन जाएगा; (ii) मार्च, 2006 में जब सामान्य निकाय द्वारा तथाकथित अनुमोदन प्रदान किया गया था तब ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था; (iii) उक्त राशि अपीलार्थीगण द्वारा उन्हें सूचित किए बिना सीधे बैंक में जमा कर दी गई थी; (iv) यह आपसी गलती का मामला नहीं था; संस्था के लेखों के प्रासंगिक खंड स्पष्ट थे और चूंकि आवश्यकतानुसार कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थीगण के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ और सोसायटी की कार्यवाही कानूनी और वैध थी; (v) यह किसी सदस्य को हटानेए बर्खास्त करने या निष्कासन का मामला नहीं था और इसलिए नोटिस जारी करनेए स्पष्टीकरण मांगने या सुनवाई का अवसर देने या प्राकृतिक न्याय या निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं था।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. न तो विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुतोष से इनकार करने में कोई अवैधता प्रतिबद्ध किया था। [पैरा 18] [784-सी]

2. सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 85वीं बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नौ व्यक्तियों का चयन किया गया था और जैसा कि कार्यवृत्त में कहा गया है, उन्हें सोसायटी के संविधान के अनुसार सामान्य निकाय में "शामिल किया जाएगा"। [पैरा 20 और 21] [786-ए-बी; एफ-जी]

3.1. प्रथम दृष्टया, सोसायटी का यह तर्क सही है कि संस्था के लेखों के खंड 4 (बी) में प्रयुक्त वाक्यांश विज्ञान के आलोक में किसी व्यक्ति को संरक्षक सदस्य के रूप में भर्ती होने से पहले राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। [पैरा 22] [787-सी-डी]

3.2. अपीलार्थीगण के मामले में यह भी नहीं है कि उन्होंने 27 जनवरी 2000 से पहले या 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। [पैरा 21] [786-एफ-जी]

3.3. अगर कोई गलती हुई भी तो वह "आपसी गलती" नहीं थी।

[पैरा 28] [789-बी-सी]

3.4. तथाकथित भुगतान विवादित प्रस्ताव पारित होने के बाद ही किया गया और वह भी सोसायटी को सूचित किए बिना किया गया। [पैरा 28] [789-बी-सी]

3.5. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2006 को भुगतान किया गया था एवं अंतरिम अनुतोष के लिए

एक आवेदन के साथ दिनांक 29 अक्टूबर 2006 को न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। परंतु अंतरिम अनुतोष के आवेदन में भी प्रस्ताव पारित होने के बाद राशि के भुगतान के तथ्य का आवेदकों द्वारा खुलासा नहीं किया गया।[पैरा 28] [786-सी-डी]

4. विवाद का संबंध किसी सदस्य के निष्कासन से नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण को कानूनी तौर पर प्रमोटर-सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना कहा जा सकता है। एक बार जब यह माना जाता है कि अपीलार्थीगण को सही रूप से शामिल किया गया था और वे सोसायटी के प्रमोटर-सदस्य बन गए थे, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए नोटिस जारी करना, स्पष्टीकरण मांगना और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक था। हालाँकि, सोसाइटी का यह तर्क है कि अपीलार्थीगण को कभी भी कानूनी तौर पर प्रमोटर-सदस्यों के रूप में शामिल नहीं किया गया और उनका तथाकथित शामिल होना कानून के अनुरूप नहीं था। उक्त विवाद्यक पर अभी निर्णय होना शेष है। [पैरा 24] (788-ए-सी)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अन्य।बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य, (2005) 4 एससीसी 741, संदर्भित।

टी.पी. डेवर बनाम लॉज विक्टोरिया, नंबर 363, एस.सी. बेलगाम, (1964)1 एससीआर 1, प्रतिष्ठित।

हेल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, चैथा संस्करण, वॉल्यूम। 19(1), पृष्ठ 143, पैरा 201, संदर्भित।

5. यह दिखाने के लिए कोई विवरण, यहां तक कि पर्याप्त विवरण भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है कि सोसाइटी द्वारा की गई कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी या शक्ति का गलत उपयोग किया गया है। [पैरा 31](790-डी-ई)

6. यह तर्क कि अपीलार्थीगण को सोसायटी द्वारा प्रमोटर-सदस्यों के रूप में माना जाता था और उन्होंने इन सभी वर्षों के लिए काम किया था, जो विभिन्न तस्वीरों, रिपोर्टों आदि से स्थापित होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि अपीलार्थीगण को कानूनी रूप से संरक्षक सदस्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था और उन्हें तस्वीरों, रिपोर्टों, कार्यों आदि के आधार पर लाभ नहीं मिल सकता था। [पैरा 27] (788-जी-एच; 789-ए-बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील की संख्या 2197/2007

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के सीआरपी संख्या 6301/2006 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.01.2007 से उत्पन्न ।

साथ

सिविल अपील संख्या : 2196,2198/2007.

के.के. वेणुगोपाल, सोली जे सोराबजी और रवींद्र श्रीवास्तव, डॉ. एस.के. वर्मा, कुणाल वर्मा, रमाकांत रेड्डी, रणबीर सिंह यादव, अर्जुन गर्ग, अर्धेन्दुनौली केआर प्रसाद, एम. मन्नम और राजुल श्रीवास्तव, अपीलार्थी के लिए।

के. राजेंद्र चैधरी, के. स्वामी, प्रभा स्वामी, राकेश के. शर्मा, बीना माधवन, एस. उदय कुमार सागर, वेनायगम और मिशी चैधरी (m/s लॉयर्स निट एंड कंपनी के लिए) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सी.के. ठक्कर, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. इजाजत दी गई।

2. यह सभी अपीलें 2 जनवरी, 2007 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 6269, 6353 और 6301, 2006 में पारित एक सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं। उक्त आदेश के अनुसार, सभी पुनरीक्षण याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और द्वितीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, हैदराबाद की अदालत द्वारा 1 दिसंबर, 2006 को आई.ए. संख्या 4192 और 4194 वर्ष 2006 में आदेश पारित किया गया था। ओपी संख्या 20070 वर्ष 2006 एवं 2146 वर्ष 2006 की पुष्टि की गई है।

3. वर्तमान मुकदमेबाजी को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि m/s चैतन्य भारती एजुकेशनल सोसाइटी (संक्षेप में 'सोसाइटी') को वर्ष

1979 में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) सार्वजनिक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1350 फसली के तहत पंजीकरण संख्या 964 का वर्ष 1979 के जरिए पंजीकृत किया गया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट इसके उद्देश्य हैं-

(ए) शैक्षिक और अन्य की स्थापना, प्रबंधन, सहायता और रखरखाव करना संस्थान, सभी चरणों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फैनेसी, कृषि को बढ़ावा देना, वाणिज्य, साहित्य, कला और विज्ञान तथा प्रबंधन तथा उपयोगी के प्रसार के लिए अन्य विषय और संबद्ध गतिविधियाँ ज्ञान और प्रशिक्षण, विशेष रूप से आत्मविश्वास, रचनात्मक पैदा करने के लिए छात्रों और प्रशिक्षुओं में सोच और उद्यमशीलता।

(बी) उम्मीदवारों के लिए तरीके और साधन तैयार करना और सुविधाएं प्रदान करना उपरोक्त सभी या किसी भी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करना (अर्थात्) विकसित करना उपरोक्त विषयों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र औद्योगिक उन्मुखीकरण।

(सी) बंदोबस्ती, वसीयत स्वीकार करने के लिए एक ट्रस्ट बोर्ड के रूप में कार्य करना, दान, सदस्यता, संस्थानों से अनुदान, दोनों निजी और सार्वजनिक, कॉर्पोरेट निकाय, और सरकार और अन्य सोसायटी को दी गई संपत्ति का हस्तांतरणकर्ता और उनका प्रशासन सहमत शर्तों पर करना।

(डी) जरूरतमंदों को चिकित्सा और नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करना आवश्यक अस्पताल खोलना, नैदानिक प्रयोगशालाओं की सहायता करना या एक्स-रे संस्थाएँ, और घरों, आवासीय मकानों को चलाने, बनाए रखने के लिए आदि, जरूरतमंदों के लिए या तो आवश्यक उपकरण खरीदकर या ऐसी संस्थाओं या सरकारों से संपर्क करके अन्य देशों के, ऐसे उपकरणों के दान के लिए और ऐसे उपकरणों को स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि और भवन संस्थाएँ।

(ई) किसी भी क्षेत्र में सीधे या इसके माध्यम से परामर्श सेवाएं प्रदान करना सोसायटी के स्वामित्व और प्रबंधन वाली संस्थाएँ।

(एफ) किसी अन्य धर्मार्थ उद्देश्य के लिए गतिविधियाँ चलाना सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की गतिविधियाँ।

4. 13 संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने तब सामान्य निकाय के साथ-साथ शासी परिषद/कार्यकारी निकाय में विभिन्न व्यवसायों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। पहले प्रतिवादी-समाज के एसोसिएशन के लेख खंड 4 में सदस्यता की श्रेणियों की गणना करते हैं जैसे (i) संरक्षक, (ii) प्रमोटर, (iii) दाता; और (iv) सदस्य (साधारण सदस्य)। खंड 5 सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान करता है। जबकि सामान्य निकाय के कार्यों को खण्ड *7* में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है खंड 11 में निपटा गया है। इसका उप-खंड (i) अधिनियमित करता है कि गवर्नर्स बोर्ड के

पास श्बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कम से कम दो सदस्यों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव पर सोसायटी के नए सदस्यों को स्वीकार करने की शक्ति है'। खंड 12 गवर्नर बोर्ड की बैठकों से संबंधित है।

5. अपीलार्थीगण का मामला यह है कि संस्था के लेखों के खंड 11 (i) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 20 जनवरी 2000 को नौ व्यक्तियों को प्रमोटर-सदस्यों के रूप में सामान्य निकाय में शामिल करने का निर्णय लिया। समाज। यह बोर्ड का सर्वसम्मत निर्णय था। उनका यह भी मामला था कि प्रस्ताव को बाद में 22 मार्च, 2006 की बैठक में पहली प्रत्यार्थी समाज की आम सभा द्वारा स्वीकार और अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता सोसायटी के प्रमोटर-सदस्य बन गए और बने रहे। इसलिए, वे मेमोरेंडम और संस्था के लेखों के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं। अपीलार्थीगण ने कहा कि उन्हें 23 अक्टूबर, 2006 को प्रथम प्रत्यार्थी समाज से एक केविएट मिली जिसमें कहा गया था कि उनका दावा सोसायटी के प्रमोटर-सदस्यों और सामान्य निकाय की बैठक बुलाने पर जोर देना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रमोटर-सदस्यों के रूप में अपीलार्थीगण का प्रवेश ही अमान्य था। अपीलार्थीगण द्वारा आगे कहा गया कि 24 अक्टूबर 2006 को प्रथम प्रत्यार्थी-समाज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 118 वीं बैठक बुलाई गई थी। मद संख्या 4 (कोई अन्य मद) के तहत नौ व्यक्तियों के प्रवेश को शामिल करने पर सवाल उठाया गया था। यह निर्णय

लिया गया कि अपीलार्थीगण को कानूनी रूप से शामिल सदस्य नहीं कहा जा सकता है और उनका शामिल होना पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी था। 27 जनवरी, 2000 का प्रस्ताव महज एक 'प्रस्ताव' था जिसमें शर्त थी कि उचित समय पर नौ व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्हें प्रमोटर-सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सोसायटी की आम सभा द्वारा 22 मार्च 2006 को पारित प्रस्ताव बिना अधिकार के और अमान्य था। सोसायटी के सचिव द्वारा एक परिणामी पत्र लिखा गया था कि प्रमोटर-सदस्यों के रूप में अपीलार्थीगण का प्रवेश अमान्य और अवैध था और वे सोसायटी के सदस्य बनने के योग्य नहीं थे।

6. उपरोक्त प्रस्ताव से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, हैदराबाद की अदालत में मूल याचिका यह घोषणा बाबत दायर की कि वे कानूनी रूप से शामिल सदस्य हैं और सोसायटी के प्रबंधन और प्रशासन में भाग लेने के हकदार हैं। यह प्रार्थना भी की गई कि अपीलार्थीगण को शामिल किए बिना शासी निकाय का चुनाव कराने पर स्थायी निषेधाज्ञा दिया जावे। अपीलार्थीगण ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के आदेश 39, नियम 1 और 2 सपठित धारा 151 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन भी दायर किया, जिसमें प्रमोटर-सदस्यों को शामिल किए बिना और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिए बिना, प्रथम प्रत्यार्थी समाज को शासी निकाय का चुनाव कराने से रोका गया था।

7. विद्वान द्वितीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय द्वारा एक आदेश दिनांक 1 दिसंबर, 2006 के जरिए आवेदन खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता-अपीलार्थीगण द्वारा यहां कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था और उन्हें मांग के अनुसार अंतरिम अनुतोष नहीं दी जा सकती थी। यथास्थिति की अंतरिम राहत जो 30 अक्टूबर 2006 को दी गई थी, समाप्त कर दी गई।

8. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर की। जैसा कि पहले देखा गया था, उच्च न्यायालय ने सभी पुनरीक्षण याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विचारण न्यायालय ने आवेदन को खारिज करने में सही किया था क्योंकि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर मूल याचिकाओं का निपटारा करने का भी निर्देश दिया। उपरोक्त आदेश को अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई है।

9. जनवरी 10, 2007 को, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश की कार्यवाही को स्थगत दिनांक 19 जनवरी, 2007 तक किया गया, जो कि स्वीकारोक्ति-सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि थी। 19 जनवरी, 2007 को नोटिस जारी किया गया और पक्षकारों को शपथ पत्र

और आगे के शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया। 2 मार्च 2007 को मामले को सुनवाई के लिए रखे जाने का आदेश दिया गया, तदनुसार, हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वर्ष 2000 में ही अपीलार्थीगण को प्रमोटर-सदस्यों के रूप में स्वीकार कर लिया था। 22 मार्च, 2006 को आयोजित आम सभा की एक आपातकालीन बैठक में, कार्यवाही को आम सभा द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। न तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और न ही संस्था के लेखों में प्रमोटर-सदस्य बनने के लिए 1 लाख रुपये के भुगतान की कोई शर्त लगाई गई थी। 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान न करना, इसलिए, अपीलार्थीगण को प्रमोटर-सदस्यों के रूप में निष्कासित करने या हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अन्यथा भी, अपीलार्थीगण ने कभी भी उक्त राशि का भुगतान करने से इनकार नहीं किया था।

11. यह भी तर्क दिया गया कि सोसायटी द्वारा कोई नोटिस कारण बताने हेतु जारी नहीं किया गया था कि अपीलार्थीगण की सदस्यता क्यों समाप्त या बंद नहीं की जानी चाहिए, न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया। 24 अक्टूबर, 2006 को प्रत्यार्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण की सदस्यता को शून्य मानते हुए की गई कार्यवाही गैर-स्थायी थी। संकल्प स्वीकार करने के मामले में

यह कार्यवाही कानून की दृष्टि से भी खराब थी अपीलार्थीगण को प्रमोटर-सदस्यों के रूप में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिया गया और सामान्य निकाय द्वारा स्वीकार किया गया। 24 अक्टूबर 2006 का संकल्प बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पारित किया गया था जो सामान्य निकाय के अधीनस्थ निकाय है। इसलिए, यह सामान्य निकाय की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।

12. यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 1981 में संस्था के लेखों में संशोधन किए गए थे, जिसमें किसी भी राशि के भुगतान के बिना प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रमोटर-सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रावधान था। सभी अपीलकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में 'प्रतिष्ठित' हैं और वे प्रमोटर-सदस्य के रूप में शामिल होने के हकदार हैं।

13. यह भी तर्क दिया गया कि इस तथ्य के अलावा कि संस्था के लेखों ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जिसके भीतर 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था, यहां तक कि प्रत्यार्थीगण की भी यही राय थी। इस प्रकार यह आपसी गलती का मामला था जिसके लिए अपीलार्थीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपीलार्थीगण को हमेशा प्रमोटर-सदस्य के रूप में माना जाता था, यह तथ्य विभिन्न तस्वीरों और रिपोर्टों से साबित होता है। यह आरोप लगाया गया था कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और अपीलार्थीगण को अगले चुनाव में भाग लेने से वंचित

करने के उद्देश्य से शक्ति का गलत प्रयोग किया गया है। अधिवक्ता द्वारा आगे कहा कि किसी भी मामले में, अपीलार्थीगण द्वारा भुगतान पहले ही किया जा चुका है और न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था और उनके पक्ष में अनुतोष दिया जाना चाहिए था। इन सभी आधारों पर, अपीलार्थीगण को प्रमोटर-सदस्यों के रूप में जारी रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को रद्द करके अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

14. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सोसायटी द्वारा की गई कार्यवाही और नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थीगण को कभी भी प्रमोटर-सदस्यों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था और 27 जनवरी, 2000 को अपनी 85वीं बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की गई कार्यवाही केवल अपीलार्थीगण को प्रमोटर-सदस्यों के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव की प्रकृति में थी। उन्हें सदस्य के रूप में स्वीकार करने का औपचारिक निर्णय कभी नहीं लिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अनुच्छेद 4 (i) (बी) की भाषा स्पष्ट है और यह बताता है कि जो आवेदक 1 लाख रुपये का 'भुगतान' करेगा वह प्रमोटर सदस्य बन जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को प्रमोटर-सदस्य बनने से पहले 1 लाख रुपये की राशि 'भुगतान' करनी होगी। निस्सन्देह, ऐसा कोई भुगतान न तो 2000 में किया गया था और न ही मार्च, 2006 में जब तथाकथित मंजूरी आम

सभा द्वारा दी गई थी। 26 अक्टूबर 2006 को भी अपीलार्थीगण द्वारा सोसाइटी को सूचित किए बिना सीधे बैंक में राशि जमा कर दी गई थी और ऐसा 24 अक्टूबर 2006 को प्रस्ताव पारित होने के बाद किया गया था।

15. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह हटाने का मामला नहीं था, किसी सदस्य की समाप्ति या निष्कासन और इसलिए नोटिस जारी करने, स्पष्टीकरण मांगने या सुनवाई का अवसर देने या प्राकृतिक न्याय या निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं था। चूँकि अपीलार्थी कभी भी प्रमोटर-सदस्य नहीं बने थे, 24 अक्टूबर 2006 को जो किया गया वह यह स्पष्ट करने के लिए था कि उनकी तथाकथित सदस्यता शून्य थी और उसका कोई प्रभाव नहीं था। हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी बनाम रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एवं अन्य, [2000] 1 एससीसी 566: एआईआर (2000) एससी 301: जेटी (1999) 9 एससी 482 पर आधार रखा गया।

16. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह आपसी गलती का मामला नहीं था। संस्था के लेखों के प्रासंगिक खंड स्पष्ट थे और चूंकि आवश्यकतानुसार कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थीगण के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ और सोसायटी की कार्यवाही कानूनी और वैद्य थी।

17. 1981 के संशोधन के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था और न ही इसे लागू किया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि सोसायटी की कार्यवाही पूरी तरह से कानून के अनुरूप थी। मुख्य मामला सिटी सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसका निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा, लेकिन, स्वीकृत तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि विचारण न्यायालय ने अंतरिम अनुतोष नहीं दी थी और उक्त आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अवैध कार्य किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप के योग्य है। इसलिए प्रार्थना की गई कि अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

18. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, न तो विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने अंतरिम अनुतोष से इनकार करके कोई अवैधता की है। जहां तक प्रत्यार्थी -सोसाइटी द्वारा की गई कार्यवाही का प्रश्न है, पक्षकारान के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ-साथ संस्था के लेखों की ओर भी आकर्षित किया है। हमने पहले ही उन उद्देश्यों को निकाल लिया है जिनके लिए सोसायटी की स्थापना की गई है। संस्था के लेखों का खंड 4 सोसायटी की सदस्यता प्रदान करता है और इस प्रकार पढ़ता है :

4. सदस्यता :

सोसायटी में सदस्यता के निम्नलिखित वर्ग शामिल होंगे।

(i)(ए) संरक्षक : कोई भी व्यक्ति, जो एकमुश्त 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि का भुगतान करता है अथवा एक किश्त में 3 लाख रुपये और शेष दो किश्तों में बराबर वार्षिक किस्तों में, सोसायटी का 'संरक्षक' कहा जाएगा वंशानुक्रम के कानूनों के तहत वंशानुगत अधिकार। किसी भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट सीमा के भीतर आगामी किश्तों का भुगतान करने में विफल रहता है, यानी पहली किश्त खत्म होने से पहले एक लाख रुपये की दूसरी किस्त वर्ष, दूसरी समाप्ति से पहले एक लाख रुपये की तीसरी किस्त वर्ष, 3 लाख रुपये की पहली किस्त के भुगतान की तारीख से, वे संरक्षक सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होंगे और भुगतान में चूक की तिथि से ही प्रमोटर सदस्य के रूप में माना जाएगा।

(बी) प्रमोटर :

कोई भी व्यक्ति जो एक लाख रुपये या अधिक लेकिन 5 लाख रुपये की राशि से कम का भुगतान करता है ज्येष्ठाधिकार के कानूनों के तहत वंशानुगत अधिकारों के साथ 'प्रवर्तक' कहा जाएगा।

(सी) दाता :

कोई भी व्यक्ति जो 50,000/- रूपये या अधिक परंतु 1 लाख रूपये से कम का भुगतान करता है, को 'दाता' कहा जाएगा और उनकी सदस्यता समाज में केवल बारह वर्ष की अवधि के लिए होगी

(डी) सदस्य :

(i) कोई भी व्यक्ति जो 20,000/- रुपये या अधिक लेकिन 30,000/- रुपये से कम का भुगतान करता है, उसे 'सदस्य' कहा जाएगा और उसे बारह साल की अवधि के लिए सदस्य माना जाएगा। सदस्यता का यह वर्ग केवल दो सौ सदस्यों तक ही सीमित रहेगा।

(ii) इन उपहारों में किए गए शुल्क के पैमाने या सदस्यता की योग्यता में कोई भी परिवर्तन केवल इन संशोधित लेखों को अपनाने की तारीख से प्रभावी होगा और पहले नामांकित सदस्यों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की स्थिति या पैमाने को प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा सदस्य किसी भी कारण से समाज का सदस्य समाप्त न हो जाए।

(iii)(ए) फर्म, संस्थान, एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह भी हैं उल्लिखित किसी भी वर्ग की उपरोक्त सदस्यता के लिए हकदार और एक प्रतिनिधि को सामान्य निकाय में नामांकित करने का हकदार होगा और ऐसे व्यक्ति को एक बार नामांकित किया जाता है। वह ऐसी फर्म, संस्था, एसोसिएशन या समूह की सदस्यता के कार्यकाल के दौरान सामान्य सभा में प्रतिनिधित्व करेंगे

(बी) ऐसा कोई भी गवर्नर्स निकाय के सदस्य के रूप में नामांकन न्यूनतम तीन वर्ष अवधि के लिए वैध होगा और किसी अन्य मामले में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए।

(iv) सामान्य :

मुख्य संरक्षक, संरक्षक और प्रवर्तक तथा दाताओं का नाम के रूप में संस्थानों के उचित स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्णय लिया गया।

19. खंड 5 "सदस्यता की समाप्ति" से संबंधित है। खंड 6, 7 और 8 आम सभा, उसके कार्यों और बुलाई जाने वाली बैठकों से संबंधित है। खंड 9 घोषित करता है कि प्रबंधन खंड 10 के तहत गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित है। खंड 11 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यों का उल्लेख किया गया है। खंड 11 का उप-खंड (i) बोर्ड को सोसायटी के नए सदस्यों को स्वीकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कम से कम दो सदस्यों द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव करने का अधिकार देता है।

20. सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 85वीं बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों पर विचार किया गया। प्रवर्तकों-सदस्यों को प्रायोजित करने वाले प्रस्तावों से संबंधित मद संख्या 2 है। उसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :

आइटम नंबर 2 बोर्ड सदस्यों ने प्रायोजन हेतु ग्यारह प्रस्ताव दिये चैतन्य भारती एजुकेशनल सोसायटी के प्रमोटरों के अनुसार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के खंड 4 (i) (बी) और 11 (i) में से कौन सा नीचे सूचीबद्ध नौ प्रवर्तकों को सर्वसम्मति से चुना गया :

(1) डॉ. एच. प्रभाकर रेड्डी

(2) डॉ. डी. द्वारकानाथ रेड्डी

(3) श्री एन.सुभाष

(4) श्री बी. चन्द्रशेखर रेड्डी

(5) डॉ. बी. अवनेंद्र रेड्डी

(6) श्री डी. प्रवीण रेड्डी

(7) श्री पी. चंद्रधर रेड्डी

(8) श्री वी. वी. श्रीधर राव

(9) श्री कोंडा विश्वस्वरा रेड्डी

उपरोक्त उम्मीदवार चयनित प्रमोटरों के एक पैनल का गठन करते हैं और संविधान के अनुसार चैतन्य भारती एजुकेशनल सोसायटी की सामान्य सभा में शामिल किया जाएगा ।

21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नौ व्यक्तियों का चयन किया गया था और जैसा कि मिनटों में कहा गया है, उन्हें सोसायटी के संविधान के

अनुसार सामान्य निकाय में 'शामिल किया जाएगा'। अपीलार्थीगण का मामला यह भी नहीं है कि उन्होंने 27 जनवरी 2000 से पहले या 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था। वास्तव में, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि 2006 में जब सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी 22 मार्च 2006 को गवर्निंग बोर्ड की कार्यवाही स्वीकार कर ली गई, अपीलार्थीगण द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। 24 अक्टूबर 2006 को भी, जब सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 118 वीं बैठक बुलाई गई थी, तो यह कहा गया था कि अपीलार्थीगण ने प्रमोटर-सदस्य बनने के लिए एक लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया था और इसलिए बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 27 जनवरी, 2000 को सोसायटी के गवर्नरों ने उन्हें 'प्रमोटर सदस्य' के रूप में शामिल किया और 22 मार्च, 2006 को आम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव को भी कानूनी नहीं कहा जा सकता था और कार्यवाही अमान्य थी। ऐसा भी देखा गया संस्था के लेखों में संशोधन करने वाला 3 अक्टूबर 1981 का तथाकथित संकल्प संख्या 3 न तो गवर्नर्स बोर्ड द्वारा पारित किया गया था और न ही उस दिन या किसी बाद की तारीख में आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए, 1979 के संस्था के लेख लागू थे। सोसायटी के 'प्रमोटर' के रूप में सदस्यता की योग्यता के लिए एक लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता था। चूंकि प्रमोटर-सदस्यों का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उनकी सदस्यता 'अमान्य' थी। इसके बाद ही

अपीलार्थीगण ने सोसायटी को इस तरह के भुगतान के बारे में सूचित किए बिना सीधे सोसायटी के नाम पर बैंक में राशि जमा कर दी।

22. प्रथम दृष्टया, हमारा मानना है कि यह सोसायटी का विवाद है यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संस्था के लेखों के खंड 4 (बी) में प्रयुक्त वाक्यांशविज्ञान के आलोक में किसी व्यक्ति को संरक्षक सदस्य के रूप में भर्ती होने से पहले ऐसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। हालाँकि, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मुख्य मामला विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसलिए, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि हम अपीलार्थीगण के विवाद और उत्तरदाताओं के तर्कों से केवल उस अपील पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए निस्तारण कर रहे हैं जो अंतरिम अनुतोष से इनकार करने वाले एक अंतरिम आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरिम अनुतोष न देकर निचली अदालतों ने कानून या क्षेत्राधिकार की गलती की है।

23. जहां तक कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगकर प्राकृतिक न्याय के अनुपालन के साथ-साथ सुनवाई का अवसर देने बाबत, विद्वान अधिवक्ता ने टी.पी. में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। डेवर बनाम लॉज विक्टोरिया नंबर 363, एस.सी. बेलगाम, [1964] एल एससीआर 1 : एआईआर (1963) एससी 1144।

विभिन्न मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की;

"उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत एकत्रित किए जा सकते हैं। (1) मेसोनिक लॉज का एक सदस्य ठहरने का स्थान के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है; और यदि नियम निष्कासन का प्रावधान करते हैं, तो उसे नियमानुसार निष्कासित कर दिया जाएगा। (2) लॉज बाध्य है नियमों के अनुसार सख्ती से कार्य करें, चाहे कोई विशेष नियम अनिवार्य हो या निर्देशिका, प्रत्येक मामले में उस संबंध में निर्माण के सुनिर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। (3) सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है; यह स्पष्ट रूप से ऐसे निकाय के निर्णयों के खिलाफ अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठ सकता है; यह ऐसे निकाय के आदेश को रद्द कर सकता है, यदि उक्त निकाय बिना क्षेत्राधिकार कार्य करता है या सद्भावना में कार्य नहीं करता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णयों में बताया गया है।"

24. हमें डर है कि डावर में निर्धारित अनुपात हस्तगत मामले के तथ्य पर लागू नहीं होता है। हस्तगत मामले में विवाद किसी सदस्य के निष्कासन से संबंधित नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण को कानूनी तौर पर प्रमोटर-सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना कहा जा सकता है। एक बार जब यह माना जाता है कि अपीलार्थीगण को सही रूप से शामिल किया गया था और वे सोसायटी के प्रमोटर-सदस्य बन गए थे, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए नोटिस जारी करना, स्पष्टीकरण मांगना और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक था। हालाँकि, सोसायटी का मामला यह है कि अपीलार्थीगण को कभी भी कानूनी रूप से प्रमोटर-सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था और उनका तथाकथित प्रेरण कानून के अनुरूप नहीं था। उक्त विवाद्यक पर अभी निर्णय शेष है। इसलिए, हमारी राय में, डावर इस स्तर पर अपीलार्थीगण की कोई सहायता नहीं कर रहा है। [भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य] [2005] 4 एससीसी 741; जेटी (2005) आई एससी 235 भी देखें।]

25. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, चैथा संस्करण, वॉल्यूम 19(1), पृष्ठ 143, पैरा 201 को आधार बनाया है, जिसमें कहा गया था;

201. निष्कासन. जैसे एक सोसायटी की स्थापना एक लिखित अनुबंध पर होती है जिन शर्तों पर सदस्य एक साथ जुड़ते हैं, उन्हें व्यक्त करते हुए, किसी सदस्य को निष्कासित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, और इसलिए किसी सदस्य को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम वह शक्ति प्रदान नहीं करते। निष्कासन की किसी भी शक्ति का प्रयोग सद्भावना से, समाज के लाभ के लिए और सख्ती से नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि नियम समिति या किसी अन्य प्राधिकारी को किसी सदस्य को उसकी ओर से अवज्ञा या कदाचार के किसी कार्य के लिए निष्कासित करने की शक्ति देते है, तो उसके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, बशर्ते कि सदस्य के बचाव को सुनने के बाद निर्णय लिया गया हो या उसे सुनवाई का अवसर दिया गया हो। यदि किसी सदस्य को अवसर नहीं दिया गया तो निर्णय अमान्य हो जायेगा। यदि नियमों का कड़ाई से पालन किया गया है, और सदस्य को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए उचित नोटिस और पूरा अवसर मिला है और निष्कासन की शक्ति का प्रयोग सद्भावना में किया गया है और ऐसे कारण के लिए जो स्पष्ट रूप से बेतुका नहीं है, तो कोई भी न्यायाधिकरण निष्कासन को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।.

26. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थीगण को निष्कासित नहीं किया गया था या सदस्यता से हटा दिया गया, हमारी

सुविचारित राय में, इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानूनों की टिप्पणियों का मौजूदा मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

27. यह तर्क कि अपीलार्थीगण को सोसायटी द्वारा प्रमोटर-सदस्यों के रूप में माना जाता था और उन्होंने इन सभी वर्षों के लिए काम किया था, जो विभिन्न तस्वीरों, रिपोर्टों आदि से स्थापित होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि अपीलार्थीगण को कानूनी रूप से संरक्षक सदस्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, तो उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था और उन्हें तस्वीरों, रिपोर्टों, कार्यों आदि के आधार पर लाभ नहीं मिल सकता था।

28. हमारे लिए, यह आपसी गलती का मामला नहीं है, जैसा कि तर्क अपीलार्थीगण के अनुसार दिया गया है, जब एक लाख रुपये के भुगतान के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है, तो ऐसी राशि का भुगतान किसी भी समय या किसी भी मामले में, 'उचित अवधि' के भीतर किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राशि का भुगतान सदस्य बनने से पहले या उसी समय किया जाना चाहिए। इसलिए, भले ही कोई गलती हुई हो, यह 'आपसी गलती' नहीं थी, जैसा कि अपीलार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया था। तथाकथित भुगतान विवादित प्रस्ताव पारित होने के बाद ही किया गया और वह भी सोसायटी को सूचित किए बिना। यह भी ध्यान रखना उचित है कि अपीलार्थीगण द्वारा भुगतान 26 अक्टूबर,

2006 को किया गया था और अधिनियम की धारा 23 के तहत न्यायालय में एक याचिका 29 अक्टूबर 2006 अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन के साथ दायर की गई थी। लेकिन अंतरिम अनुतोष के आवेदन में भी प्रस्ताव पारित होने के बाद राशि के भुगतान के तथ्य का आवेदकों द्वारा खुलासा नहीं किया गया।

29. जहां तक 1981 के संशोधन के संबंध में, अधिवक्ता ने कहा कि संस्था के लेखों के खंड 4 को सोसायटी द्वारा 3 अक्टूबर, 1981 के संकल्प संख्या 3 द्वारा संशोधित किया गया था। संस्था के लेखों का संशोधित खंड 4 इस प्रकार हैरू

4. सदस्यता :

सोसायटी में सदस्यता के निम्नलिखित वर्ग शामिल होंगे।

(i)(ए) संरक्षक: फर्म, संस्थाएं, एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह जो सोसायटी के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं इस सदस्यता के लिए हकदार होंगे और किसी को नामांकित करने के भी हकदार होंगे सामान्य निकाय में उनकी ओर से प्रतिनिधि इत्यादि एक बार नामांकित व्यक्ति सामान्य सभा में ऐसी फर्म, संस्था, एसोसिएशन की सदस्यता का कार्यकाल या व्यक्तियों का समूह प्रतिनिधित्व करेगा।

(बी) प्रमोटर:

कोई भी व्यक्ति जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित है और जो सोसायटी के उद्देश्यों के लिए वित्तीय या अन्यथा योगदान कर सकता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा 'प्रमोटर' के रूप में चुना जा सकता है।

(iv) सामान्य:

मुख्य संरक्षक, संरक्षक और प्रवर्तक तथा दाताओं का नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्णय के अनुसार संस्थानों के उचित स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। पैमाने में कोई भी बदलाव इन प्रस्तुतियों में सदस्यता का शुल्क या योग्यता शामिल इन अनुच्छेदों को अपनाने की तिथि से ही प्रभावी होंगे संशोधित और भुगतान की गई फीस की स्थिति या पैमाने को प्रभावित नहीं करेगा यद्यपि पहले नामांकित सदस्य किसी भी कारण से सोसायटी का सदस्य नहीं रहेंगे।

30. अपीलार्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया गया था। लेकिन अन्यथा भी, हमारी राय में, इसके लिए विद्वान वकील उत्तरदाताओं का यह तर्क सही है कि यह प्रतिवादी-समाज का मामला था कि ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था और इसे लागू नहीं किया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 118 वीं बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट है।

31. हमारी राय में, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विवरण, यहां तक कि पर्याप्त विवरण भी नहीं रखा गया है कि सोसायटी द्वारा की

गई कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी या शक्ति के दिखावटी प्रयोग में की गई थी। कानून का एक प्रश्न जो न्यायालय के विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या अपीलार्थीगण प्रमोटर-सदस्य बन गए थे। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो वे कुछ अधिकारों के हकदार हैं। लेकिन यदि उत्तर नकारात्मक है, तो ऐसा प्रवर्तक-सदस्य के रूप में माना नहीं जा सकता है। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, उसने अंतरिम अनुतोष नहीं दिया गया। उक्त आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय ने, हमारी राय में, आदेश के ऑपरेटिव भाग में सही कहा कि यह मुख्य मामले पर निर्णय लेने के लिए एक उपयुक्त मामला था और तदनुसार तीन महीने के भीतर मूल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था।

32. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय में, नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को अवैध या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कॉस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

33. मामले से अलग होने से पहले, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रति-आरोपों की

सत्यता या अन्यथा में प्रवेश किया और आदेश 39, नियम 1 और 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहित के तहत अपीलार्थीगण द्वारा दायर एक आवेदन में अंतरिम अनुतोष से इनकार करने वाले आदेश की वैधता और स्थिरता के सीमित मुद्दे पर विवाद का फैसला किया है तथा यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है। जब भी मामलों को विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए उठाया जाएगा, तो इस फैसले में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उन पर अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

34. तदनुसार, अपीलें बिना किसी कॉस्ट के आदेश के खारिज की जाती हैं

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभिलाषा जेफ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यवाहरिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।